सिरोही पटवार मण्डल सिरोही स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1338 की खातेदारी में वादी का नाम नाहरसिंह पुत्र संतोष दर्ज रिकार्ड है जो गलत है। क्योंकि संतोष वादी की मां का नाम है। वादी का सही नाम कृष्ण कुमार पुत्र प्रभुदयाल है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी में खातेदार का नाम नाहरसिंह पुत्र संतोष गलत दर्ज कर दिया गया। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र अंकतालिका की प्रतियां पेश की जिनमे वादी का सही नाम कृष्ण कुमार पुत्र प्रभुदयाल है। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य स्वयं का शपथ पत्र किया है जिसमें वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि की गयी है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम नाहरसिंह पुत्र संतोष अंकित है। वादी का कथन कि वादी का सही दस्तावजी नाम कृष्ण कुमार पुत्र प्रभुदयाल है की पुष्टि आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र अंकतालिका की प्रतियों से होती है। वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य स्वयं के शपथ पत्र, प्रस्तुत किया गया जिससे भी इन तथ्यों की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वादपत्र वादी साबित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड [illegible]
उपखण्ड [illegible]
नीमका[illegible]

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम सिरोही पटवार हल्का सिरोही तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नंबर 1338 दर्ज खातेदार नाहरसिंह पुत्र संतोष के स्थान पर कृष्ण कुमार पुत्र प्रभुदयाल दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसला शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.28 17:53:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner